न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 08/2019

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. गोरधनराम पुत्र लाधुराम उम्र 63 वर्ष 2. जालाराम पुत्र बिरदाराम उम्र 58 वर्ष 3. मालाराम पुत्र प्रतापराम उम्र 56 वर्ष 4. चन्द्राराम पुत्र स्व.रामूराम उम्र 84 वर्ष 5. तुलसाराम पुत्र स्व. बुद्धाराम उम्र 56 वर्ष 6. हजारीराम पुत्र स्व.रामूराम उम्र 79 वर्ष 7. हुक्माराम पुत्र स्व.दीपाराम उम्र 56 वर्ष सभी जातियान माली गहलोत निवासीगण-ग्राम गवाल बेरा, नारवा खिचियान, तहसील व जिला जोधपुर 8. भैरूसिंह पुत्र विजयसिंह उम्र 74 वर्ष जाति राजपूत, निवासी ग्राम नारवा तहसील व जिला जोधपुर		1. तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर 2. सरपंच ग्राम पंचायत नारवा तहसील व जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 26.10.2018 क्रमांक/भू.अ./2018/4380 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर।

उपस्थितिः-
1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जे.गहलोत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जयपाल सिंह राठौड़ उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 05.08.2019

अपीलान्ट गोरधनराम पुत्र श्री लाधुराम जाति माली गहलोत निवासी ग्राम गवाल बेरा, नारवा खिचियान, तहसील व जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमाक/भू.अ./2018/4380 दिनांक 26.10.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस ग्वाल बेरा गहलोतों का नारवा खिचियान तहसील व जिला जोधपुर के निवासी है तथा इस ग्राम में करीब 40 व्यक्तियों/परिवारों के आबादी के मकानात

बने हुए है, जिसमें पानी व विद्युत के कनेक्शन लिये हुए है एवं इसी स्थान के परिवारकार्ड, आधार कार्ड, और वोटर कार्ड बने हुए है। अपीलान्टस को अपने अपने मकानों में जाने हेतु एक कटाणी मार्ग/रास्ता जिसकी मालिक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है एवं मकानों व उनके पास आई हुई भूमि का कटाणी मार्ग से मकानों में आने जाने व उपयोग व उपभोग इत्यादि का अपीलान्टस को संवैधानिक अधिकार है इस कारण अपीलान्ट को उक्त अपील करने का अधिकार है। मुख्य नारवा रोड़ जो जोधपुर से नारवा व नारवा से पूर्व दिशा की ओर कुछ सी.सी.रोड़ बनी हुई है, तत्पश्चात् कुछ मुड़िया रोड़ भी बनी हुई है, अपीलान्ट 40-50 वर्षों से उस कटाणी मार्ग/रास्ते का उपयोग व उपभोग आने जाने एवं अपने वाहनों से इसी रास्ते से जाते हुए ग्वाल बेरा नारवा खिचियान स्थित अपने अपने घरों में जाने हेतु करते है। कटाणी मार्ग जो करीब 18 फुट चौड़ाई में एवं पूर्व से उत्तर की ओर चलता हुआ है, आज भी बेरोकटोक चल रहा है एवं आगे यही कटाणी रास्ता गांव मणाई जाता है।

अपील में वर्णित कटाणी रास्ते/मार्ग जिस पर मुरड़ राज्य सरकार के कार्यक्रम ''नरेगा'' से 30-40 वर्षों पूर्व डलवाया हुआ है तथा धरातल से 2 फुट ऊंचाई पर कटाणी मार्ग मुड़िया रोड़ बनाई हुई है, अभी हाल ही में 40-50 वर्ष पुराने चल रहे कटाणी रास्ते का जनप्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 12.09.2018 को 0/0 से 2.5 किलोमीटर तक डामरीकरण, अपीलान्ट व आम लोग ग्वाल बेरा गहलोतों का नारवा खिचियान तक और आगे मणाई तक जाने का शिलान्यास/उदघाटन किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 भी मौके पर मौजूद थे एवं जिला परिषद एवं अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त रोड़ का ठेका डामरीकरण हेतु दिया गया है। डामरीकरण कटाणी रास्ता जो अपील के साथ स्केच नक्शें में एक्स, वाई, जेड लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। डामरीकरण का ठेका भागीरथ विश्नोई को राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला परिषद के आदेश व नियमानुसार दिया गया था एवं वर्तमान में भागीरथ विश्नोई प्रतिअपीली संख्या 3 द्वारा यह बताया गया कि उसकी ओर से प्रतिअपीली संख्या 4 पप्पूराम विश्नोई ने सुपरवाईजर/पेटी कान्ट्रेक्टर की हैसियत से डामरीकरण का कार्य उक्त कटाणी मार्ग पर मुरड़ डालकर शुरू किया है। मौके पर स्थित कटाणी मार्ग जो वर्तमान में 40-50 वर्षो से चल रहा है उस पर डामरीकरण वर्तमान चल रहे कटाणी रास्ते पर करने पर अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 गांव का सरपंच गैर कानूनी व अवैधानिक तरीके से सहयोग कर सरकारी जमीन नाडी पर अतिक्रमण कर रहा है और खेत खसरा नम्बर 150 में से व 202 में से वर्तमान कटाणी रास्ते के अलावा नया रास्ता बनाना चाहता है, जबकि कटाणी मार्ग खसरा नम्बर 223, 222 के कणे-कणे से शुरू होकर खसरा नम्बर 224, 221, 202, 175 व 201 के कणे-कणे चल रहा है। गांव वालों की सहमति से 40 वर्ष पूर्व छोड़ा गया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 151, 152, 175 और 202 के बीचो बीच में से जबरन नया रास्ता बनवाना चाहते है, वर्तमान कटाणी रास्ता जो 40-50 वर्षो से चालू/कायम है जिस पर राज्य सरकार के आदेशानुसार डामरीकरण का ठेका हो चुका है, खुर्द बुर्द करना व 18 फुट चौड़ाई कम करना चाहते है, सरकारी विभाग के ठेकेदार भागीरथ विश्नोई व पप्पूराम विश्नोई को डामरीकरण करने में भी बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है।

सिविल न्यायाधीश संख्या 3 जोधपुर महानगर मे मूलवाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 73/2018 एवं सी.ओ. 61/2018 गोरधनराम व अन्य बनाम उम्मेदसिंह व अन्य दिनांक 24.10.2018 को पेश किया। जिसमें प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई, अन्तरिम स्थगन पेश है एवं मौका कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है। उक्त मूलवाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत नारवा व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 है एवं तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6 है। दीवानी वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन/सबज्यूडिस है।

सरपंच ग्राम पंचायत नारवा जो व्यक्तिगत रूप से वाद व स्थगन में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 है एवं ग्राम पंचायत नारवा भी पक्षकार नम्बर 5 है। इस कारण से सरपंच ग्राम पंचायत नारवा एवं तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी नारवा के ऊपर दबाव बनाकर आदेश दिनांक 26.10.2018 पारित किया जिससे व्यथित होकर मौके पर कटाणी रास्ता पिछले 40-50 वर्षो से लगातार नारवा मुख्य सड़क से गांव ढाणियों में से होता हुआ ग्वाल बेरा को जहां सरकारी स्कूल जी.एल.आर.पानी की टंकी व मुरड़ की सड़क मौके पर 50 वर्षो से चल रही है इसी मौके पर वर्तमान में उपयोग में आ रहे कणे कणे कटाणी रास्ते के डामरीकरण का कार्य शुरू होने, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वर्तमान में मौके पर 40-50 वर्षो से चल रहे कटाणी रास्ते (मुड़िया रोड़) को छोड़कर सरपंच व अन्य राजनैतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति के कहने से अन्य स्थान से नया कटाणी रास्ता बनवाना चाहते है इसी कारण से तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 26.10.2018 द्वारा सीमांकन करने एवं पुलिस इमदाद दिए जाने का बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित करने, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके पर वर्तमान स्थान पर स्क्रेच नक्शा व फोटोग्राफ में दर्शित कटाणी रास्ते को खुर्दबुर्द करने व रास्ते की 18 फुट चौड़ाई को कम करने से अपीलान्ट के साथ साथ आम नागरिकों के हितों पर कुठाराघात होगा एवं गांव वालों के बच्चों के प्राईमरी स्कूल में दैनिक आने जाने का कटाणी रास्ता इस सीमांकन एवं पुलिस इमदाद के आदेश से बन्द हो जाने, वर्तमान में स्क्रेच नक्शे व फोटोग्राफ में कणे कणे पर चल रहे कटाणी रास्ते को छोड़कर अन्य जगह नया रास्ता आदेश दिनांक 26.10.2018 के द्वारा सीमांकन नहीं किया जा सकता और अन्य जगह कटाणी रास्ता कायम करने हेतु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा सीमांकन करने एवं पुलिस इमदाद दिए जाने का बिना क्षैत्राधिकार के आदेश पारित होने, आदेश में वर्णित मौके पर कटाणी रास्ता (मुड़िया रोड़) जो 40-50 वर्षो से आज भी चालू है पर किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है बल्कि नारवा से मणाई जाने वाले आमजन का कटाणी रास्ता है जिसका जनप्रतिनिधि द्वारा डामरीकरण का शिलान्यास किया जा चुका है इस कारण कटाणी रास्ते का सीमांकन करने व पुलिस इमदाद का जाब्ता दिलाए जाने का आदेश स्वत: ही विधि विरूद्ध होने, आदेश दिनांक 26.10.2018 से उक्त कटाणी रास्ते को खुर्द बुर्द करने व पुलिस इमदाद से कटाणी रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होते हुए भी सीमांकन करने व अन्य स्थान पर कटाणी रास्ता पुलिस इमदाद से बनाये जाने से अपीलान्ट व आमजन के अधिकारों का हनन होने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमाक/भू.अ./2018/4380 दिनांक 26.10.2018 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपील श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 1929 दिनांक 28.12.2018 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 02.01.2019 को दर्ज रजिस्टर की गयी।

अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते मौका कमिश्नर नियुक्त करने, वर्तमान में चल रहे रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाने व रिकॉर्ड तलब करने का प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र सीमांकन आदेश करने व जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा इसके अलावा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र सीमांकन आदेश करने का अपीलान्ट की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र एवं जवाब को इस प्रकरण की बहस व निर्णय में शामिल किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जे.गहलोत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमाक/भू.अ./2018/4380 दिनांक 26.10.2018 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जयपालसिंह राठौड़ ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 1 से 7 के खेत में से कोई कटाणी रास्ता नहीं निकलता है। तहसीलदार व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रेकर्ड व नक्शें में वर्णित कटाणी रास्ते पर ही सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। कटाणी रास्ते के विपरित किसी भी पक्षकार को सड़क निर्माण करने का अधिकार नहीं है और न ही राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत व तहसीलदार कटाणी रास्ते के विपरित जाकर सड़क निर्माण करवाना चाहते है। खेत खसरा नम्बर 150 व 202 में से कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा रहा है। खसरा नम्बर 223, 222 से होकर 224, 221, 202, 175 व 201 के कणे कणे से कोई रास्ता विद्यमान नहीं है जबकि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में जहा कटाणी रास्ता बताया गया है उसी पर ही सड़क निर्माण किया जायेगा। तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमाक/भू.अ./2018/4380 दिनांक 26.10.2018 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त सड़क निर्माण जो सार्वजनिक हितार्थ के किया जा रहा है उसे रोका जाता है तो वहां के स्थानीय निवासियों, आम जनता तथा सरकारी संस्थाओं को अपूरणीय क्षति होगी। अत: तहसीलदार जोधपुर का आदेश क्रमाक/भू.अ./2018/4380 दिनांक 26.10.2018 पूर्णतया विधिसम्मत व सही होने से यथावत रखने व अपीलान्टस की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रेकर्ड व नक्शें में वर्णित कटाणी रास्ते पर ही सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 150 व 202 में से कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा रहा है। खसरा नम्बर 223, 222 से होकर 224, 221, 202, 175 व 201 के कणे कणे से कोई रास्ता विद्यमान नहीं है जबकि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में जहा कटाणी रास्ता बताया गया है उसी पर सड़क निर्माण किया जायेगा। अत: तहसीलदार जोधपुर का आदेश क्रमाक/भू.अ./2018/4380 दिनांक 26.10.2018 पूर्णतया विधि

सम्मत व सही होने के कारण अपीलान्टस की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। सम्पूर्ण प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण एक राजकीय मार्ग के निर्धारण से संबंधित है। उक्त प्रकरण को प्रथमदृष्टया देखने से यह प्रतीत होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में जहां रास्ते का अंकन है, कि जगह मौके पर अन्यत्र रास्ता चल रहा है व वर्तमान में डामर सड़क की स्वीकृति होने पर निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का सीमांकन चाहा गया है। अपीलार्थी की मंशा यदि वर्तमान में मौका अनुरूप रास्ता निर्माण करवाने की है तो वह इस न्यायालय का निर्णयाधिकार नहीं है। जहां तक राजस्व रिकॉर्ड में चल रहे रास्ते के मौके पर मौजूद नहीं होने का प्रश्न है, केवल मौके पर रास्ता नहीं चलने से रास्ते पर सुखाचार का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है तथा वहां रास्ता कायमी यदि किसी अन्य आदेश से बाधित नहीं हो तो की जा सकती है। इसी प्रकार मौके पर वर्तमान में मौजूद रास्ता के विषय में मेरे विनम्र मत में यदि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है अथवा प्रमाणित पक्षकार यदि राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम/रास्ते से असंतुष्ट है तो भी सक्षम न्यायालय में प्रार्थना की जा सकती है, किन्तु केवल इस आधार पर कि मौके पर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है तो रिकॉर्डेड रास्ते का सीमाज्ञान रोका जाना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार चूंकि उक्त आधारों पर मौका की स्थिति इस आदेश के लिए न्यायालय के लिए विचारणीय नहीं है तो मौके की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलान्टस अधिवक्ता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अस्पष्टता के संदर्भ में तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में एवं प्रमाणिक रिकॉर्ड के आधार पर ही सीमांकन करे। अत: अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार, जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर